कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग राजसमंद

क्रमांक :– 906 दिनांकः–30/6/2023

विज्ञप्ति संख्या 01 /2023–24

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाडी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम व ई–मेल आई.डी.	ग्रामपंचायत/ नगरीय निकाय का नाम	ग्राम /वार्ड	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त मानदेय पद का नाम	आरक्षित श्रेणी
1	आमेट ICDS.AAMET@RAJASTHAN.GOV.IN	लिंकी	आक्या	आक्या	कार्यकर्ता	
2		लोढियाणा	लोढियाणा	लोढियाणा	सहायिका	
3		सरदारगढ़	सरदारगढ़	सरदारगढ़ II	सहायिका	
4		सियाणा	सियाणा वाडा	सियाणावाड़ा	सहायिका	
5		घोसुण्डी	घोसुण्डी	घोसुण्डी I	सहायिका	
6		साकरडा	साकरडा	साकरडा	कार्यकर्ता	
7	भीम ICDS.BHEEM@RAJASTHAN.GOV.IN	समेलिया	पालरा	पालरा	सहायिका	
8	देवगढ़ ICDS.DEOGARH@RAJASTHAN.GOV.IN	सांगावास	कुण्डेली	कुण्डेली	कार्यकर्ता	
9		माद	दांतड़ा	दांतड़ा	कार्यकर्ता	
10		विजयपुरा	किटो का बाड़िया	किटो का बाड़िया	सहायिका	
11		स्वादड़ी	चारणा	चारणा	सहायिका	
12	खमनोर ICDS.KHAMNOR@RAJASTHAN.GOV.IN	टांटोल	पासुनिया	पासुनिया	सहायिका	एस.टी.
13		नेड़च	नेड़च	नेड़च	कार्यकर्ता	एस.टी.
14		कालीवास	कालीवास	कालीवास	सहायिका	एस.टी.
15		उथनोल	काजियावास	काजियावास	कार्यकर्ता	
16		देलवाड़ा	देलवाडा	देलवाड़ा II	सहायिका	
17		नेगडिया	नेगडिया	नेगडिया	कार्यकर्ता	
18		गुंजोल	कुंचोली	कुंचोली	सहायिका	
19		घोड़च	घोड़च	घोड़च	कार्यकर्ता	
20			छापरा	छापरा	सहायिका	एस.टी.
21		बागोल	परावल	परावल II	सहायिका	
22			जोशियों की मादड़ी	जोशियों की मादड़ी	सहायिका	
23		झालों की मदार	झालों की मदार	झालों की मदार II	सहायिका	
24		सायों का खेड़ा	सायों का खेड़ा	सायों का खेड़ा I	सहायिका	
25		सगरूण	सिरोही की भागल	सिरोही की भागल	सहायिका	
26		उपली ओडन	निचली ओडन	निचली ओडन I	सहायिका	
27		लालमादड़ी	राबचा	राबचा	सहायिका	
28		फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर II	कार्यकर्ता	
29	कुम्भलगढ़ ICDS.KHUMBHALGARH@RAJASTHAN.GOV.IN	कड़िया	कम्बोड़ा	कम्बोड़ा	कार्यकर्ता	
30		तलादरी	हमेरपाल	हमेरपाल	कार्यकर्ता	
31		तलादरी	गामड़ी की नाल	गामड़ी की नाल	सहायिका	
32	राजसमंद ICDS.RAJSAMAND@RAJASTHAN.GOV.IN	एमडी	एमडी	एमडी II	सहायिका	
33		भाणा	लवाणा	लवाणा	सहायिका	
34		आत्मा	आत्मा	पिपलिया	मिनी कार्यकर्ता	
35		फियावड़ी	फियावड़ी	फियावड़ी I	कार्यकर्ता	
36		न0प0राजसमंद	वार्ड नं0 24	जावद	सहायिका	
37	रेलमगरा ICDS.RAILMAGRA@RAJASTHAN.GOV.IN	कोटड़ी	उदलपुरा	उदलपुरा	सहायिका	
38		सांसेरा	सांसेरा	सांसेरा I	सहायिका	
39		जवासिया	गांगास	गांगास	सहायिका	

1. ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। (मूल निवासी होने का आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड /मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी अथवा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजो की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाये) विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।

2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/शि.पा.गृ.कार्यकर्ता/आंगनबाड़ी सहायिका हेतु न्युनतम योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. आवेदन पत्र के साथ (1)अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाणपत्र, (2)सैकण्डरी,सीनियर सैकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3)बीएड/एनटीटी/डीपीएसई डिप्लोमा (यदि लागु हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/जन आधार कार्ड (5) अनुसुचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी /साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आर्युवेद नर्सिंग/RSCIT/PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) (8) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागु हो तो) इत्यादि दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे। दस्तावेजो के आधार पर ही मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जावेगा।
4. वैवाहिक स्थिति– आंगनबाड़ीकर्मी के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है।
5. आयु– आवेदन के लिए न्युनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति,जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित– प्रमस्तिष्क घात,रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम् आयु 40 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)• विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक है। • तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी आदेश /डिक्री की छाया प्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावे।
6. जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जानी चाहिए।
7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र कमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन कीमी–लेयर के जारी प्रमाण पत्र सम्बंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से अधिक पुराना प्रमाणपत्र मान्य नही होगा।
8. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
9. आवेदन फार्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट से प्राप्त किये जा सकते है।
10. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/ रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय की ई–मेल पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद दिनांक 30.07.2023 तक सायः 5.00 बजे तक जमा करा सकेगें।
11. विज्ञप्ति सम्बंधी विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/संबंधित बाल विकास परियोजना अधि0 कार्यालय/विभागीय वेबसाईट http://www.rajasthyan.gov.in पर उपलब्ध परिपत्र कमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदन पत्र जमा कराने की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करे।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए कुल 5000 रू. की राशि तीन किश्तों में सीधे खाते में जमा करा लाभान्वित किया जाता है।

इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना अन्तर्गत द्वितीय सन्तान के लिए कुल 6000/8000रू. की राशि तीन किश्तों में सीधे खाते में जमा करा लाभान्वित किया जाता है।

आई एम शक्ति उड़ान योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग की किशोरियो/महिलाओ को प्रति माह 2 पैकेट सैनेटरी नेपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।

पूरक पोषाहार योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 माह से 6वर्ष आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है।

(योजना में पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए आंगनबाडी केन्द्र अथवा आईसीडीएस विभाग में सम्पर्क करें।)

(हस्ताक्षर) 30/6/23
(एन.एल.मेघवाल)
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजसमन्द

क्रमांक :– 907-12
दिनांक :– 30/6/2023

प्रतिलिपि :–
1. निदेशक महो0 समेकित बाल विकास सेवाऍ राज0 जयपुर।
2. जिला कलक्टर महो0, राजसमंद।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महो0, जिला परिषद राजसमंद।
4. आयुक्त नगर परिषद राजसमंद/ नगर पालिका आमेट/देवगढ़/नाथद्वारा।
5. विकास अधिकारी,पंचायत समिति आमेट/भीम/देवगढ़/कुम्भलगढ़/खमनोर/देलवाड़ा/राजसमंद/रेलमगरा ।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी आमेट/भीम/देवगढ़/कुम्भलगढ़/खमनोर/राजसमंद/रेलमगरा को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति की प्रति ग्राम पंचायत/नगरपालिका एवं संबंधित आंगनवाडी केन्द्र पर चस्पा करावे। रिक्त पदों का व्यापक प्रचार–प्रसार करावे। विभाग के परिपत्र कमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 अनुसार चयन कार्यवाही समय पर पूर्ण करावे।

(हस्ताक्षर) 30/6/23
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,राजसमंद